प्रेषक,

निदेशक मत्स्य
उ0प्र0 लखनऊ ।

सेवा में,

उप निदेशक मत्स्य,

. . . .

.

सहायक निदेशक मत्स्य/
मुख्य कार्यकारी अधिकारी
मत्स्य पालक विकास अभिकरण

. . . .

पत्रांक– 4872 /नि0शा0/वि0स्वी0/म0आ0प्र0व्यय/2020–21 दिनांक– 06 नवम्बर, 2020

विषयः वित्तीय वर्ष 2019–20 (कार्यान्वयन वर्ष 2020–21) हेतु ब्लू रिवोल्यूशन योजनान्तर्गत मछुआ आवास निर्माण परियोजना में सामान्य मद हेतु 328 मछुआ आवासों के निर्माण हेतु धनराशि रू0 468.60 लाख की निर्गत वित्तीय स्वीकृति के सापेक्ष प्रशासकीय व्यय की धनराशि रू0 16.20 लाख का बजट आवंटन।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या 14/2020/535/सत्रह–म–2019–6–9(333)/16 टी0सी0 दिनांक 10 जून, 2020 (प्रति संलग्न) में उल्लिखित वित्तीय वर्ष 2019–20 (कार्यान्वयन वर्ष 2020–21) में ब्लू रिवोल्यूशन इन्टीग्रेटेड डेवलपमेन्ट एण्ड मैनेजमेन्ट आफ फिशरीज योजनान्तर्गत वर्ष 2019–20 में अवमुक्त केन्द्रांश को वर्ष 2020–21 के लिए पुनर्वैध किये जाने के फलस्वरूप सामान्य मद में 422 मछुआ आवासों के निर्माण के सापेक्ष 06 जनपदों हेतु अप्रयुक्त/अवशेष धनराशि रू0 58.80 लाख (तालिका–1), 16 जनपदों में 328 मछुआ आवास निर्माण हेतु धनराशि रू0 393.60 लाख (तालिका–2) एवं 34 जनपदों में कुल 750 मछुआ आवासों हेतु कुल केन्द्रांश रू0 540.00 लाख का 03 प्रतिशत अर्थात रू0 16.20 लाख की प्रशासकीय व्यय की धनराशि को सम्मिलित करते हुए अर्थात कुल धनराशि रू0 468.60 लाख (चार करोड़ अरसठ लाख साठ हजार मात्र) (केन्द्रांश रू0 287.64 लाख तथा मैचिंग राज्यांश रू0 180.96 लाख) की वित्तीय स्वीकृति संलग्न तालिका–।, तालिका–।। एवं तालिका–।।। के अनुसार के अनुसार निर्गत हुई है। प्राप्त वित्तीय स्वीकृति में से धनराशि रू0 452.40 लाख (चार करोड़ बावन लाख चालीस हजार मात्र) का बजट आवंटन निदेशालय पत्रांक–3894/नि0शा0/वि0स्वी0/म0आ0सामा0/2020–21 दिनांक–30 जून , 2020 द्वारा पूर्व में किया जा चुका है। प्रशासकीय व्यय के सम्बंध में शासन से शुद्धि पत्र संख्या 30/2020/975/सत्रह–म–2020–6–9(333)/16 टी0सी0 दिनांक 27 अगस्त, 2020 निर्गत होने के उपरांत अवशेष प्रशासकीय व्यय की धनराशि अर्थात रू0 16.20 लाख को इस निर्देश के साथ आवंटित किया जा रहा है कि उक्त धनराशि का व्यय सम्बन्धित जनपद द्वारा निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबंधों के अधीन किया जायेगाः–

1- The earmarked funds under Administrative Expenses shall be utilized for (a) information Education Communication (IEC) activities and for preparation of IEC material including electronic and print material, (b) cost of seminars, workshops, conferences, official meetings, farmers meet etc., (c) publicity and promotional activities through electronic and print medias, (d) recording of videos & photography on success stories and best management practices, (e) cost of supervision, monitoring and evaluation, (f) preparation of required MIS along with necessary hardware/software, (g) Social Audit if any required, (h) cost hiring of personnel on contract, (i) cost of assessments and evaluation studies; (j) hiring of project management consultants, (k) preparation of State and National Annual Plans and Vission Documents etc.
2- These funds shall also be utilized in assisting the States/UTs requiring assistance for preparation of their action plans, prioritizing the development plans, preparation of proposals through project consultants etc.

इसके अतिरिक्त उक्त आवंटित धनराशि से दिनांक 21.11.2020 को आयोजित होने वाले विश्व मात्स्यिकी दिवस–2020 पर गोष्ठी/कार्यशाला पर रू0 15000/–, रिवररैंचिंग हेतु रू0 10000/– होने वाले व्यय का वहन किया जायेगा रिवर रेंचिंग चिन्हांकित जनपदों में किया जाना है जिसका विवरण अलग से उपलब्ध कराया जायेगा तथा संबंधित जनपदों द्वारा उक्त धनराशि में से ब्लू रिवोल्यूशन योजनान्तर्गत मजदूरी, स्थलीय निरीक्षण हेतु यात्रा व्यय, कार्यालय व्यय, लेखन सामग्री, टेलीफोन पर व्यय (सी0यू0जी0 सुविधा हेतु), कम्प्यूटर हार्डवेयर, साफ्टवेयर, अनुरक्षण व तत्सम्बन्धित स्टेशनरी पर व्यय, कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण व उनकार अनुरक्षण, नियमों के अन्तर्गत एवं आवश्यकतानुसर पेट्रोल/डीजल पर व्यय एवं नीली क्रान्ति सम्बन्धी प्रचार–प्रसार, प्रदर्शनी एवं मेला इत्यादि मदों पर किया जायेगा। साथ–ही प्रशासकीय व्यय मद में उक्त जनपदों को ब्लू रिवोल्यूशन योजनान्तर्गत संचालित परियोजनाओं के सफल संचालन एवं कियान्वयन हेतु धनराशि आवंटित की गयी है, के द्वारा रू0 15000/– (अधिकतम सीमा) की दर से निदेशालय द्वारा उपलब्ध कराये गये कन्फीगुरेशन के आधार पर एनरायड फोन का क्रय किया जायेगा, जिसका उपयोग केवल विभागीय योजनाओं के प्रचार–प्रसार हेतु किया जायेगा। उक्त एन्डरायड फोन के कन्फीगुरेशन का निर्धारण जनपदों/मण्डलों को निदेशालय द्वारा बाद में उपलब्ध कराया जायेगा।

शेष शर्तें निदेशालय पत्रांक– 3894/नि0शा0/वि0स्वी0/ म0आ0सामा0/ 2020–21 दिनांक– 30 जून, 2020 द्वारा निर्गत वित्तीय स्वीकृति के सापेक्ष यथावत रहेंगी तथा इसमें किसी भी प्रकार के विचलन का दायित्व सम्बंधित सहायक निदेशक मत्स्य/मुख्य कार्यकारी अधिकारी/आहरण वितरण अधिकारी का होगा।

उक्त धनराशि चालू वित्तीय वर्ष 2020–21 में अनुदान संख्या–17 के अधीन लेखाशीर्षक–2405–मछली पालन–101–अन्तर्देशीय मछली पालन–01–केन्द्र प्रायोजित योजनाएं– 0102–ब्लू रिवोल्यूशन इन्टीग्रेटेड डेवलपमेन्ट एण्ड मैनेजमेन्ट ऑफ फिशरीज योजना, 35–पूंजीगत परिसम्पतियों के सृजन हेतु अनुदान मद के नामे डाला जायेगा। उक्त बजट का आवंटन बजट रजिस्टर के पृष्ठ सं0 (111) पर अंकित है।

भवदीया

(पूजा रमन)
वित्त एवं लेखाधिकारी
कृते निदेशक मत्स्य, उ0प्र0, लखनऊ ।

पत्रांक– /नि0शा0/वि0स्वी0/म0आ0प्र0व्यय/2020–21 उक्त दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय उ0प्र0,इलाहाबाद।
2– अनुसचिव, मत्स्य विभाग, उ0प्र0शासन, लखनऊ।
3– मुख्य कोषाधिकारी जवाहर भवन लखनऊ।
4– सम्बंधित मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी।
5– वेब आफिसर, निदेशालय को इस आशय से प्रेषित कि बजट आवंटन वेबसाइट पर अपलोड करने का कष्ट करें।

(पूजा रमन)
वित्त एवं लेखाधिकारी
कृते निदेशक मत्स्य, उ0प्र0, लखनऊ ।

Awas 1(2)2017-18

इसके अतिरिक्त उक्त आवंटित धनराशि से दिनांक 21.11.2020 को आयोजित होने वाले विश्व मात्स्यिकी दिवस–2020 पर गोष्ठी/कार्यशाला पर रू0 15000/–, रिवररैंचिंग हेतु रू0 10000/– होने वाले व्यय का वहन किया जायेगा रिवर रेंचिंग चिन्हांकित जनपदों में किया जाना है जिसका विवरण अलग से उपलब्ध कराया जायेगा तथा संबंधित जनपदों द्वारा उक्त धनराशि में से ब्लू रिवोल्यूशन योजनान्तर्गत मजदूरी, स्थलीय निरीक्षण हेतु यात्रा व्यय, कार्यालय व्यय, लेखन सामग्री, टेलीफोन पर व्यय (सी0यू0जी0 सुविधा हेतु), कम्प्यूटर हार्डवेयर, साफ्टवेयर, अनुरक्षण व तत्सम्बन्धित स्टेशनरी पर व्यय, कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण व उनकार अनुरक्षण, नियमों के अन्तर्गत एवं आवश्यकतानुसर पेट्रोल/डीजल पर व्यय एवं नीली क्रान्ति सम्बन्धी प्रचार–प्रसार, प्रदर्शनी एवं मेला इत्यादि मदों पर किया जायेगा। साथ–ही प्रशासकीय व्यय मद में उक्त जनपदों को ब्लू रिवोल्यूशन योजनान्तर्गत संचालित परियोजनाओं के सफल संचालन एवं कियान्वयन हेतु धनराशि आवंटित की गयी है, के द्वारा रू0 15000/– (अधिकतम सीमा) की दर से निदेशालय द्वारा उपलब्ध कराये गये कन्फीगुरेशन के आधार पर एनरायड फोन का क्रय किया जायेगा, जिसका उपयोग केवल विभागीय योजनाओं के प्रचार–प्रसार हेतु किया जायेगा। उक्त एन्डरायड फोन के कन्फीगुरेशन का निर्धारण जनपदों/मण्डलों को निदेशालय द्वारा बाद में उपलब्ध कराया जायेगा।

शेष शर्तें निदेशालय पत्रांक– 3894/नि0शा0/वि0स्वी0/ म0आ0सामा0/ 2020–21 दिनांक– 30 जून, 2020 द्वारा निर्गत वित्तीय स्वीकृति के सापेक्ष यथावत रहेंगी तथा इसमें किसी भी प्रकार के विचलन का दायित्व सम्बंधित सहायक निदेशक मत्स्य/मुख्य कार्यकारी अधिकारी/आहरण वितरण अधिकारी का होगा।

उक्त धनराशि चालू वित्तीय वर्ष 2020–21 में अनुदान संख्या–17 के अधीन लेखाशीर्षक–2405–मछली पालन–101–अन्तर्देशीय मछली पालन–01–केन्द्र प्रायोजित योजनाएं– 0102–ब्लू रिवोल्यूशन इन्टीग्रेटेड डेवलपमेन्ट एण्ड मैनेजमेन्ट ऑफ फिशरीज योजना, 35–पूंजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु अनुदान मद के नामे डाला जायेगा। उक्त बजट का आवंटन बजट रजिस्टर के पृष्ठ सं0 (111) पर अंकित है।

भवदीया

(पूजा रमन)
वित्त एवं लेखाधिकारी
कृते निदेशक मत्स्य, उ0प्र0, लखनऊ ।

पत्रांक– 4872/नि0शा0/वि0स्वी0/म0आ0प्र0व्यय/2020–21 उक्त दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय उ0प्र0,इलाहाबाद।
2– अनुसचिव, मत्स्य विभाग, उ0प्र0शासन, लखनऊ।
3– मुख्य कोषाधिकारी जवाहर भवन लखनऊ।
4– सम्बंधित मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी।
5– वेब आफिसर, निदेशालय को इस आशय से प्रेषित कि बजट आवंटन वेबसाइट पर अपलोड करने का कष्ट करें।

(पूजा रमन)
वित्त एवं लेखाधिकारी
कृते निदेशक मत्स्य, उ0प्र0, लखनऊ ।

Print Report

Allotment Grid Report

वित्तीय वर्ष:-2020-2021
आवंटन दिनांक-23/06/2020

प्रेषण संख्या:- 1
आवंटन आदेश संख्या:- 001-MACHUWA AWAS ADMINISTRATIVE EXP ALLOTMENT 23-6-20
अनुदान संख्या:- 17 कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (मत्स्य)(वित्तीय वर्ष 2020-2021 का आवंटन)
लेखाशीर्षक:- 2405 - मछली पालन(आयोजनेत्तर-मतदेय)

101 - अन्तर्देशीय मछली पालन
01 -
02 - ब्लू रिवोल्यूशन इन्टीग्रेटेड डेवलपमेंट एण्ड मैनेजमेंट आफ फिशरीज योजना

(धनराशि रु. में)

S.No.	अधिकारी/जनपद का नाम		35-पूँजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु अनुदान	योग
1	सहारनपुर-4362-उप निदेशक मत्स्य , --01-उप -निदेशक मत्स्य जनपदीय	वर्तमान प्रगामी	43200 2443200	43200 2443200
2	मुज़फ्फर नगर-2366-सहायक निदेशक - मत्स्य , --01--	वर्तमान प्रगामी	86400 86400	86400 86400
3	मेरठ-4362-उप निदेशक मत्स्य , --18-मु0 कार्यकारी अधिकारी- मत्स्य - बागपत	वर्तमान प्रगामी	43200 43200	43200 43200
4	बुलन्दशहर-2366-सहायक निदेशक - मत्स्य , --01--	वर्तमान प्रगामी	43200 43200	43200 43200
5	अलीगढ-2366-सहायक निदेशक - मत्स्य , --01--	वर्तमान प्रगामी	43200 43200	43200 43200
6	मथुरा-2366-सहायक निदेशक - मत्स्य , --01--	वर्तमान प्रगामी	60480 3420480	60480 3420480
7	बरेली-4362-उप निदेशक मत्स्य , --22-मु0 कार्यकारी अधिकारी- मत्स्य - बदायूं	वर्तमान प्रगामी	86400 3686400	86400 3686400
8	बिजनौर-2366-सहायक निदेशक - मत्स्य , --01--	वर्तमान प्रगामी	43200 2443200	43200 2443200
9	शाहजहांपुर-2366-सहायक निदेशक - मत्स्य , --01--	वर्तमान प्रगामी	43200 43200	43200 43200
10	फर्रुखाबाद-2366-सहायक निदेशक - मत्स्य , --01--	वर्तमान प्रगामी	43200 2443200	43200 2443200
11	इटावा-2366-सहायक निदेशक - मत्स्य , --01--	वर्तमान प्रगामी	43200 2443200	43200 2443200
12	कानपुर नगर-4362-उप निदेशक मत्स्य , --01-उप -निदेशक मत्स्य जनपदीय	वर्तमान	43200 2443200	43200 2443200

		प्रगामी		
13	प्रयागराज-4362-उप निदेशक मत्स्य , --01-उप -निदेशक मत्स्य जनपदीय	वर्तमान प्रगामी	86400 2486400	86400 2486400
14	जालौन-2366-सहायक निदेशक - मत्स्य , --01--	वर्तमान प्रगामी	43200 43200	43200 43200
15	हमीरपुर-2366-सहायक निदेशक - मत्स्य , --01--	वर्तमान प्रगामी	43200 43200	43200 43200
16	वाराणसी-4362-उप निदेशक मत्स्य , --12-मु0 कार्यकारी अधिकारी- मत्स्य -जौनपुर	वर्तमान प्रगामी	47520 47520	47520 47520
17	मिर्ज़ापुर-4362-उप निदेशक मत्स्य , --01-उप -निदेशक मत्स्य जनपदीय	वर्तमान प्रगामी	43200 2443200	43200 2443200
18	गोरखपुर-4362-उप निदेशक मत्स्य , --10-मु0 कार्यकारी अधिकारी- मत्स्य - देवरिया	वर्तमान प्रगामी	43200 1183200	43200 1183200
19	बस्ती-4362-उप निदेशक मत्स्य , --26-मु0 कार्यकारी अधिकारी- मत्स्य - सन्त कबीर नगर	वर्तमान प्रगामी	43200 2443200	43200 2443200
20	आजमगढ-4362-उप निदेशक मत्स्य , --01-उप -निदेशक मत्स्य जनपदीय	वर्तमान प्रगामी	43200 343200	43200 343200
21	आजमगढ-4362-उप निदेशक मत्स्य , --15-मु0 कार्यकारी अधिकारी- मत्स्य - बलिया	वर्तमान प्रगामी	43200 43200	43200 43200
22	अयोध्या-4362-उप निदेशक मत्स्य , --01-उप -निदेशक मत्स्य जनपदीय	वर्तमान प्रगामी	43200 2443200	43200 2443200
23	अयोध्या-4362-उप निदेशक मत्स्य , --04-मु0 कार्यकारी अधिकारी- मत्स्य - गोण्डा	वर्तमान प्रगामी	43200 1243200	43200 1243200
24	मऊ-2366-सहायक निदेशक - मत्स्य , --01--	वर्तमान प्रगामी	43200 1243200	43200 1243200
25	सिद्धार्थनगर-2366-सहायक निदेशक - मत्स्य , --01--	वर्तमान प्रगामी	43200 2443200	43200 2443200
26	महोबा-2366-सहायक निदेशक - मत्स्य , --01--	वर्तमान प्रगामी	43200 43200	43200 43200
27	संत रविदास नगर-2366-सहायक निदेशक - मत्स्य , --01--	वर्तमान प्रगामी	43200 2443200	43200 2443200
28	कुशीनगर-2366-सहायक निदेशक - मत्स्य , --01--	वर्तमान प्रगामी	43200 2443200	43200 2443200
29	अम्बेदकर नगर-2366-सहायक निदेशक - मत्स्य , --01--	वर्तमान प्रगामी	86400 3326400	86400 3326400
30	हाथरस-2366-सहायक निदेशक - मत्स्य , --01--	वर्तमान	43200 43200	43200 43200

		प्रगामी		
31	कौशाम्बी-2366-सहायक निदेशक - मत्स्य , --01--	वर्तमान प्रगामी	43200 43200	43200 43200
32	श्रावस्ती-2366-सहायक निदेशक - मत्स्य , --01--	वर्तमान प्रगामी	43200 2443200	43200 2443200
33	चित्रकूट-2366-सहायक निदेशक - मत्स्य , --01--	वर्तमान प्रगामी	43200 43200	43200 43200
	योग	वर्तमान प्रगामी	1620000 46860000	1620000 46860000

महायोग- (वर्तमान आवंटन):- रूपया सोलह लाख बीस हजार

महायोग- (प्रगामी आवंटन):- रूपया चार करोड़ अड़सठ लाख साठ हजार

(पूजा रंजन)
वित्त एवं लेखाधिकारी

741 / नि० 2110
12-6-2020

संख्या: 14 /2020/535/सत्रह-म-2020-6-9 (333)/16 टी0सी0

प्रेषक,

एस0एम0ए0 रिजवी
विशेष सचिव,
उ0प्र0 शासन ।

सेवा में,

निदेशक मत्स्य,
उ0प्र0 लखनऊ।

मत्स्य उत्पादन अनुभाग लखनऊ दिनांक 10 जून, 2020

विषय वित्तीय वर्ष 2019-20 (कार्यान्वयन वर्ष 2020-21) हेतु ब्लू रिवोल्यूशन योजनान्तर्गत मछुआ आवास निर्माण परियोजना में सामान्य मद के अन्तर्गत धनराशि रू0 468.60 लाख की वित्तीय स्वीकृति निर्गत करने के सम्बंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक अपने पत्र संख्या 694 /नि0शा0/2019-20 दिनांक 18 मई,2020 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से ब्लू रिवोल्यूशन योजनान्तर्गत सामान्य मद में 328 मछुआ आवासों के निर्माण सहित कुल रू0 468.60 लाख (रू0 चार करोड़ अरसठ लाख साठ हजार मात्र) की वित्तीय स्वीकृति निर्गत किये जाने का प्रस्ताव उपलब्ध कराया गया है।

2- अवगत कराना है कि ब्लू रिवोल्यूशन योजनान्तर्गत संचालित मछुआ आवासों की निर्माण परियोजना हेतु सामान्य मद में भारत सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2019-20 में अपने पत्र संख्या-12012/27/2009-एफवाई (डब्ल्यू0यू0) दिनांक 06.12.2019 द्वारा 750 मछुआ आवासों के निर्माण हेतु रू0 556.20 लाख का केन्द्रांश अवमुक्त किया गया था, जिसके सापेक्ष 2019-20 में सम्पूर्ण बजट व्यवस्था न होने के कारण शासन के आदेश दिनांक 24.01.2020 द्वारा 422 मछुआ आवासों के लिए रू0 506.40 लाख (केन्द्रांश 303.84 लाख+राज्यांश 202.56 लाख) की वित्तीय स्वीकृति निर्गत की गयी थी। उक्त निर्गत वित्तीय स्वीकृति के सापेक्ष दिनांक 31.03.2020 तक मात्र रू0 447.60 लाख की धनराशि व्यय हो सकी और धनराशि रू0 58.80 लाख अवशेष/अप्रयुक्त रही।

3- ब्लू रिवोल्यूशन योजनान्तर्गत मछुआ आवास योजना हेतु भारत सरकार द्वारा अपने पत्र संख्या-जे/18001/1/2017-एफवाई, दिनांक 23.04.2020 द्वारा वर्ष 2019'-20 में निर्गत/अप्रयुक्त केन्द्रांश को वित्तीय वर्ष 2020-21 में व्यय किये जाने हेतु पुनर्वैध कर दिया गया है। वित्तीय वर्ष 2020-21 में प्रश्नगत योजनान्तर्गत आय-व्ययक में रू0 1200.00 लाख का बजट प्राविधान किया गया है। इस प्रकार ब्लू रिवोल्यूशन योजनान्तर्गत सामान्य मद में मछुआ आवास की उपयोजना हेतु 06 जनपदों हेतु पूर्व वर्ष 2019-20 की अप्रयुक्त /अवशेष धनराशि रू0 58.80 लाख, 328 आवासों के निर्माण हेतु रू0 1.20 लाख प्रति आवास की दर से रू0 393.60 लाख तथा प्रशासकीय व्यय (कुल केन्द्रांश का 3 प्रतिशत) के रूप में रू0 16.20 लाख अर्थात कुल रू0 468.60 लाख (रू0 287.64 लाख केन्द्रांश तथा रू0 180.96 लाख मैचिंग राज्यांश) की वित्तीय स्वीकृति निर्गत किये जाने का प्रस्ताव निदेशक मत्स्य द्वारा उपलब्ध कराया गया है।

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

12/06/2020

4- अत: इस सम्बंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2019-20 (कार्यान्वयन वर्ष 2020 -21) में ब्लू रिवोल्यूशन इन्टीग्रेटेड डेवलपमेंट एण्ड मैनेजमेंट आफ फिशरीज योजनान्तर्गत सामान्य मद में 422 मछुआ आवासों के निर्माण के सापेक्ष 06 जनपदों हेतु अप्रयुक्त/ अवशेष धनराशि रू0 58.80 लाख **(तालिका-1),** 16 जनपदों में 328 मछुआ निर्माण हेतु धनराशि रू0 393.60 लाख **(तालिका-2)** एवं 34 जनपदों में कुल 750 मछुआ हेतु कुल केन्द्रांश रू0 540.00 लाख का 3 प्रतिशत अर्थात रू0 16.20 लाख की प्रशासकीय व्यय की धनराशि को सम्मिलित करते हुए अर्थात कुल धनराशि रू0 468.60 लाख (चार करोड अरसठ लाख साठ हजार मात्र) (केन्द्रांश रू0 287.64 लाख तथा मैचिंग राज्यांश रू0 180.96 लाख) की वित्तीय स्वीकृति **संलग्न तालिका-।, तालिका-।। एवं तालिका-।।।** के अनुसार (केन्द्रांश रू0 287.64 लाख+मैचिंग राज्यांश रू0 180.96 लाख) श्री राज्यपाल महोदय निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

(1) स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय भारत सरकार की सेन्ट्रल सेक्टर स्कीम के अन्तर्गत ब्लू रिवोल्यूशन: इन्टीग्रेटेड डेवलपमेंट एण्ड मैनेजमेंट आफ फिशरीज योजना के क्रियान्वयन हेतु शासन के आदेश संख्या-20/2016/2362/सत्रह-म-2016-6-9(333)/16 दिनांक 24 दिसम्बर, 2016 द्वारा निर्गत दिशा- निर्देश/गाइड लाइन्स, शासनादेश संख्या- 18/2017 /1128/ सत्रह-म-2017-6-9(333)/16 दिनांक 07 जुलाई, 2017 एवं शासनादेश संख्या- संख्या-2/2018 /2236/ सत्रह-म-2018-6-9(333)/16 टी0सी0 दिनांक 23 जनवरी,2018 द्वारा निर्गत संशोधित मार्ग- निर्देश में दिये गये निर्देशों व अन्य संगत नियमों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जायेगा।

(2) स्वीकृत की जा रही धनराशि के व्यय सुसंगत वित्तीय नियमों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जायेगा।

(3) स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय उन्हीं मदों में किया जायेगा जिस मद के लिए धनराशि स्वीकृत की जा रही है। किसी अन्य मद में न ही इसका व्यय किया जायेगा और न ही एक मद से दूसरे मद में इसका व्यावर्तन किया जायेगा।

(4) प्रश्नगत धनराशि का व्यय चालू वित्तीय वर्ष में ही सुनिश्चित किया जायेगा तथा समयान्तर्गत उपयोगिता प्रमाण पत्र भारत सरकार को उपलब्ध कराया जायेगा।

(5) स्वीकृत की जा रही धनराशि को आहरित कर किसी भी दशा में डाकघर / बैंक में जमा नहीं किया जायेगा।

(6) यह सुनिश्चित किया जायेगा कि प्रश्नगत योजना/ कार्यक्रम में पूर्व में इस मद में किसी अन्य योजना / स्रोत से धनराशि प्राप्त नही हुई है ।

(7) स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण एकमुश्त न करते हुए अपितु आवश्यकतानुसार ही किया जायेगा।

(8) स्वीकृत की जा रही धनराशि के आहरण एवं व्यय के सम्बंध में वित्त (व्ययक-आय) अनुभाग-1 के वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2020/बी-1-149-दस-2020-231/2020 दिनांक 24.03.2020,पत्र संख्या-4/2020/बी-1-192/दस-2020-231/2020 दिनांक 07.04.2020, पत्र संख्या-5/2020/बी-1-196/दस-2020-231/2020 दिनांक11.04.2020

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

एवं पत्र संख्या-6/2020/बी-1-218/दस/2020-231/2020, दिनांक 18.05.2020 में दिये गये दिशा-निदेर्शों /प्राविधानों का कडाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय

(9) निर्माण कार्यो के सम्बंध में संगत शासनादेशों में निहित व्यवस्था एवं प्रक्रिया का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा तथा प्रश्नगत धनराशि से क्रय की जाने वाली सामग्री आदि के सम्बंध में सामग्री /उपकरण क्रय विषयक संगत शासनादेशों में दी गयी व्यवस्था व अद्यतन निर्धारित प्रक्रिया आदि का अनुसरण करते हुए कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

(10) धनराशि का आवंटन/एलाटमेंट मात्र किसी प्रकार के व्यय करने का प्राधिकार नहीं देता है, जिन मामलों में उ0प्र0 बजट मैनुअल और फाईनेन्शियल हैण्डबुक के नियमों तथा अन्य स्थायी आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार व केन्द्र सरकार अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त की जानी आवश्यक हो,तो उन मामलों में व्यय किये जाने से पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय।

(11) भारत सरकार के पत्रांक 12012/27/2009-एफ0वाई0(डब्ल्यू0यू0) दिनांक 31.12.2018 के प्रस्तर- 5 के अनुसार धनराशि लाभार्थियों के खाते में सीधे अन्तरण हेतु डी0बी0टी0 प्लेटफार्म का उपयोग तथा प्रस्तर-9 के अनुसार धनराशि का व्यय व भारत सरकार को उपभोग प्रमाण पत्र का प्रेषण EAT module of PFMS से कराये जाने के दिये गये विशेष निर्देशों सहित अन्य निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

5- उक्त धनराशि वित्तीय वर्ष 2020-21 में अनुदान संख्या-17 के अधीन लेखाशीर्षक-2405-मछली पालन-101-अन्तर्देशीय मछली पालन-01-केन्द्र प्रायोजित योजनाएं-0102-ब्लू रिवोल्यूशन इन्टीग्रेटेड डेवलपमेंट एण्ड मैनेजमेंट ऑफ फिशरीज योजना, 35-पूंजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु अनुदान मद के नामें डाला जायेगा।

6- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या -1/2020/बी-1-149-दस-2020-231/2020 दिनांक 24.03.2020,पत्र संख्या-4/2020/बी-1-192/दस-2020-231/2020 दिनांक07.04.2020, पत्रसंख्या-5/2020/बी-1-196/दस-2020-231/2020 दिनांक 11.04. 2020 एवं पत्र संख्या-6/2020/बी-1-218/दस/2020-231/2020, दिनांक18.05.2020 में दिये गये निर्देशों के क्रम में निर्गत किये जा रहे हैं।

7- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय पत्र संख्या-440 / ई-1-दस-2020, दिनांक 08 जून,2020 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(एस0एम0ए0 रिजवी)
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

संख्या- 14 /2020 /535(1)/ सत्रह-म-2020 तददिनांक-

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1-महालेखाकार(लेखा एवं हकादरी) प्रथम/द्वितीय उ0प्र0 प्रयागराज।

2- महालेखाकार(लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय उ0प्र0 प्रयागराज।

3- मुख्य कोषाधिकारी,जवाहर भवन लखनऊ।

4- सम्बधित कोषाधिकारी, उ0प्र0।

5- वित्त एवं लेखाधिकारी,मत्स्य निदेशालय उ0प्र0 लखनऊ।

6- वित्त (व्यय-नियत्रंण) अनुभाग-1/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/नियो0 अनुभाग-3 ।

7- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(कृपा शंकर यादव)
अनुसचिव।

http:// shasnadesh.up.nic.com

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

संख्या-14/2020 /535(1)/ सत्रह-म-2020 तददिनांक-

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1-महालेखाकार(लेखा एवं हकादरी) प्रथम/द्वितीय उ0प्र0 प्रयागराज।

2- महालेखाकार(लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय उ0प्र0 प्रयागराज।

3- मुख्य कोषाधिकारी,जवाहर भवन लखनऊ।

4- सम्बधित कोषाधिकारी, उ0प्र0।

5- वित्त एवं लेखाधिकारी,मत्स्य निदेशालय उ0प्र0 लखनऊ।

6- वित्त (व्यय-नियत्रंण) अनुभाग-1/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/नियो0 अनुभाग-3 ।

7- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(कृपा शंकर यादव)
अनुसचिव।

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

(शासनादेश संख्या: 14 /2020 /535/सत्रह-म-2019-6-9(333)/16 टी0सी0 दिनांक 10 जून,2020 का संलग्नक)

तालिका-1

क्र0 सं0	जनपद का नाम	मछुआ आवासों की संख्या	निर्गत की जाने वाली धनराशि (रू0 लाख में)		
			अवेशष केन्द्रांश	अवेशष राज्यांश	योग
1	अम्बेडकरनगर	20	5.04	3.36	8.40
2	बदायूँ	20	7.20	4.80	12.00
3	देवरिया	20	6.84	4.56	11.40
4	आजमगढ	20	1.80	1.20	3.00
5	मऊ	20	7.20	4.80	12.00
6	गोण्डा	20	7.20	4.80	12.00
	कुल योग-	**120**	**35.28**	**23.52**	**58.80**

(रूपये अठठावन लाख अस्सी हजार मात्र)

तालिका-2

क्र0 सं0	जनपद का नाम	मछुआ आवासों की संख्या	निर्गत की जाने वाली धनराशि (रू0 लाख में)		
			केन्द्रांश (60प्रतिशत)	राज्यांश (40 प्रतिशत)	योग
1	मथुरा	28	20.16	13.44	33.60
2	श्रावस्ती	20	14.40	9.60	24.00
3	अयोध्या	20	14.40	9.60	24.00
4	सिद्वार्थनगर	20	14.40	9.60	24.00
5	अम्बेडकरनगर	20	14.40	9.60	24.00
6	प्रयागराज	20	14.40	9.60	24.00
7	बदायूं	20	14.40	9.60	24.00
8	कानपुरनगर	20	14.40	9.60	24.00
9	इटावा	20	14.40	9.60	24.00
10	फर्रूखाबाद	20	14.40	9.60	24.00
11	कुशीनगर	20	14.40	9.60	24.00
12	संतकबीरनगर	20	14.40	9.60	24.00
13	बिजनौर	20	14.40	9.60	24.00
14	मिर्जापुर	20	14.40	9.60	24.00
15	भदोही	20	14.40	9.60	24.00
16	सहारनपुर	20	14.40	9.60	24.00
	कुल योग	**328**	**236.16**	**157.44**	**393.60**

(रू0 तीन करोड तिरानबे लाख साठ हजार मात्र)

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

तालिका-3

क्र0 सं0	जनपद का नाम	मछुआ आवासों की संख्या	केन्द्रांश	शासकीय व्यय के रूप में निर्गत की जाने वाली केन्द्रांश की 3 प्रतिशत धनराशि (रू0 लाख में)
1	मथुरा	28	20.16	0.6048
2	श्रावस्ती	20	14.40	0.4320
3	अयोध्या	20	14.40	0.4320
4	सिद्वार्थनगर	20	14.40	0.4320
5	अम्बेडकरनगर	40	28.80	0.86.40
6	प्रयागराज	40	28.80	0.86.40
7	बदायूं	40	28.80	0.86.40
8	कानपुरनगर	20	14.40	0.4320
9	इटावा	20	14.40	0.4320
10	फर्रूखाबाद	20	14.40	0.4320
11	कुशीनगर	20	14.40	0.4320
12	संतकबीरनगर	20	14.40	0.4320
13	बिजनौर	20	14.40	0.4320
14	मिर्जापुर	20	14.40	0.4320
15	भदोही	20	14.40	0.4320
16	सहारनपुर	20	14.40	0.4320
17	अलीगढ	20	14.40	0.4320
18	हाथरस	20	14.40	0.4320
19	कौशाम्बी	20	14.40	0.4320
20	देवरिया	20	14.40	0.4320
21	बलिया	20	14.40	0.4320
22	शाहजहॉपुर	20	14.40	0.4320
23	चित्रकूट	20	14.40	0.4320
24	बागपत	20	14.40	0.4320
25	बुलन्दशहर	20	14.40	0.4320
26	आजमगढ	20	14.40	0.4320
27	मऊ	20	14.40	0.4320
28	जौनपुर	20	14.40	0.4320
29	जालौन	20	14.40	0.4320
30	हमीरपुर	20	14.40	0.4320
31	महोबा	20	14.40	0.4320

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

https://shasanadesh.up.nic.com

32	गोण्डा	20	14.40	0.4320
33	मुजफफरनगर	20	14.40	0.4320
34	शामली	20	14.40	0.4320
	कुल योग	**750**	**540.00**	**16.20**

(रू0 सोलह लाख बीस हजार मात्र)

(कृपा शंकर यादव)
अनुसचिव।

http:// shasnadesh.up.nic.com

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

919/नि०स०
01/9/2020

उत्तर प्रदेश शासन
मत्स्य उत्पादन अनुभाग
संख्या-30/2020/975/ सत्रह-म-2020-6-9(333)/16 टी0सी0
लखनऊ: दिनांक 27 अगस्त,2020

शुद्धि-पत्र

वित्तीय वर्ष 2019-20 (कार्यान्वयन वर्ष 2020-21) हेतु ब्लू रिवोल्यूशन योजनान्तर्गत मछुआ आवास निर्माण परियोजना में सामान्य मद के अन्तर्गत धनराशि रू0 468.60 लाख की वित्तीय स्वीकृति शासनादेश संख्या-14/2020/535/सत्रह-म-2020-6-9(333)/16 टी0सी0 दिनांक 10 जून,2020 द्वारा निर्गत की गयी थी।

2- उक्त शासनादेश दिनांक 10 जून,2020 के साथ संलग्न तालिका-3 के क्रम संख्या- 5,6,7 एवं क्र0सं0 28 पर त्रुटिवश निम्नलिखित अंकित हो गया है:-

क्र0 सं0	जनपद का नाम	मछुआ आवासों की सं0	केन्द्रांश	शासकीय व्यय के रूप में निर्गत की जाने वाली केन्द्रांश की 3 प्रतिशत धनराशि (रू0 लाख में)
5	अम्बेडकर नगर	40	28.80	0.86.40
6	प्रयागराज	40	28.80	0.86.40
7	बदायूं	40	28.80	0.86.40
28	जौनपुर	20	14.40	0.4320

3- अत: उक्त उल्लिखित शासनादेश दिनांक 10 जून,2020 में संलग्न तालिका-3 के क्र0सं0- 5,6,7 एवं क्र0सं0 28 को निम्नवत पढा जाय:-

क्र0 सं0	जनपद का नाम	मछुआ आवासों की सं0	केन्द्रांश (रू0 लाख में)	शासकीय व्यय के रूप में निर्गत की जाने वाली केन्द्रांश की 3 प्रतिशत धनराशि (रू0 लाख में)
5	अम्बेडकर नगर	40	28.80	0.8640
6	प्रयागराज	40	28.80	0.8640
7	बदायूं	40	28.80	0.8640
28	जौनपुर	22	15.84	0.4752

4- शासनादेश संख्या-14/2020/535/सत्रह-म-2020-6-9(333)/16 टी0सी0 दिनांक 10 जून,2020 उक्त सीमा तक संशोधित समझा जायेगा । शेष शर्ते व प्राविधान यथावत लागू रहेंगे।

एस0एम0ए0 रिजवी
विशेष सचिव।

(के0 सिंह)
31-08-2020

31.8.2020

01/09/2020

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

<u>संख्या-30/2020/975(1)/सत्रह-म-2020 तददिनांक</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित

(1) महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय उ0प्र0 प्रयागराज।

(2) महालेखाकार(लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय उ0प्र0 प्रयागराज।

(3) निदेशक मत्स्य, उ0प्र0 लखनऊ।

(4) मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।

(5) सम्बंधित कोषाधिकारी उ0प्र0 ।

(6) वित्त एवं लेखाधिकारी मत्स्य निदेशालय उ0प्र0 लखनऊ।

(7) वित्त (व्यय-नियत्रंण) अनुभाग-1/वित्त(आय-व्ययक)अनुभाग-1/नियो0अनु0-1

(8) गार्ड फाइल।

आज्ञा से

(कृपा शंकर यादव)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।